संख्या -1434/66-13-05/2012(टी;सी;)

प्रेषक,

एस0पी0 गोयल,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

2- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

समग्र ग्राम विकास अनुभाग लखनऊ: दिनांक 31 जनवरी, 2014

विषयः- डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत चिन्हित कार्यक्रमों में से कतिपय कार्यक्रमों को योजना से पृथक किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या- 447/66-2012-05/2012 दिनांक 17 मई, 2012 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना लागू की गई है। उक्त शासनादेश के प्रस्तर-3 के क्रमांक- 8,9,22 एवं 33 पर क्रमशः माध्यमिक विद्यालय की स्थापना/निर्माण, स्वास्थ्य उपकेन्द्र की स्थापना/ निर्माण, टैबलेट पीसी एवं लैपटाप वितरण तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति कार्यक्रमों से समग्र ग्रामों में विकास कार्य कराए जाने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2- शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त योजनान्तर्गत चयनित ग्रामों में निम्न कार्यक्रमों को योजना से पृथक किए जाने का निर्णय

लिया गया है:-

(1) - माध्यमिक विद्यालय की स्थापना/निर्माण ।

(2) - स्वास्थ्य उपकेन्द्र की स्थापना / निर्माण।

(3) - टैबलेट पीसी एवं लैपटाप वितरण।

(4) - आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति।

3- इस प्रकार शासनादेश संख्या- 447/66-2012-05/2012 दिनांक 17 मई, 2012 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए।

भवदीय,

(एस0पी0 गोयल)
प्रमुख सचिव।

संख्या - 1434(1)/66-13 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्-

1- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
2- प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री, उ0प्र0 शासन।
3- प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4- समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव, उ0प्र0 शासन।
5- समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0।
6- निदेशक, समग्र ग्राम विकास सचिवालय सेल, उ0प्र0।
7- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(नरेश बहादुर)
संयुक्त सचिव।